

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गज़ट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर 2020 — कार्तिक 26, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 नवम्बर 2020

क्रमांक 8745/डी. 165/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-10-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1951) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | |
|----------------------------|----|-----|--|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा. |
| | | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 161 में संशोधन. | 2. | | छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 161 की उप-धारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- |

“परंतु यह कि राज्य शासन, समय-समय पर, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से, कुछ या सभी स्थावर संपत्ति के अंतरण को, आंशिक या पूरी तरह से, अस्थाई या स्थाई रूप से, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, इस उप-धारा में अंतर्विष्ट प्रावधान से छूट दे सकेगा.”

अटल नगर, दिनांक 17 नवम्बर 2020

क्रमांक 8745/डी. 165/21-अ/प्रारू./छ. ग./20.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 17-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 24 of 2020)

CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|--|-------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2020. | Short title and commencement. |
| | (2) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | For proviso of sub- section (1) of Section 161 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the following shall be substituted, namely :- | Amendment of Section 161. |
| | | <p>“ Provided that the State Government may from time to time, by Notification published in the Official Gazette, exempt the transfer of some or all immovable properties, partly or fully, temporarily or permanently, from the provision contained in this sub-section, subject to such conditions as it may specify in the Notification.”</p> | |